

पत्रांक - 718 दिनांक - 9-9-2021
 सेवा में, शाखा प्रबंधक, मास्कीप
 (रेटमेंट देपार्टमेंट)

अनुसूचा 21 - प्रपत्र सं० ११३।

संपत्ति - अबभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० - 420 - 12021

आवेदन सं० 25/8-9-2021

चूंकि श्री मिश्र ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित सव्यवहारों और अबभारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथा के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करनेवाली सव्यवहारों और अबभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बन्धित अनुक्रमनिर्णयों में ता० 01.01.1991 से ता० 31.03.2021 तक तलाशों की गईं और ऐसी तलाशों के बाद निम्न सव्यवहारों और अबभारों का पता चला :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन (ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य		पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
		निष्पादन की तारीख	प्रकार और मूल्य	निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	पृष्ठ	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मौजा - Belabagan T.P.P. 20 - 25/8-9-2021 - गाँव - 08/10/21 अमरकंदी गाँव - रकबा - 3611 - 90/10/21 मद्रास							
			- 5069 -	4	"	17/1/3		भाग नं० - 206 - भाग नं० - 257
			- 3607 -	"	"	17/1/1		
			- 2444 -	"	"	17/1/2		

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1 बचक-पत्र की दशा में, व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वश कि इनके बारे में बल्लेख हो।
- 2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्ज करें।


Kajur Infra Projects

Bimal Kumar Agrawal
 Partner

(2)


यै यह भी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोट, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और लयभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी को और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- लिपिक


तलाशी को सत्यापन और प्रमाण-पत्र को जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :-

कार्यालय जिला निकाय न
घासीखर काशी नगर देवपुर




निवन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

9-9-2021


टिप्पणी (१)-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार प्राये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी हर्षी संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वेसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजिक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न दिये जायेंगे।

(२) निवन्धन अधिनियम की धारा १७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को अरुत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।

(३) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(४) और चूंकि वर्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वार दूटे गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों को छोट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Kajbir Intra Project:



Partner